कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांकः शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/ स्थानान्तरण/अंग्रेजी/2018 दिनांकः 27.09.18 के द्वारा श्री युधिष्ठर शर्मा, व्याख्याता अंग्रेजी का स्थानान्तरण राबाउमावि सोजत रोड़, पाली से राउमावि कंटालिया, पाली किया गया। जहां इनके द्वारा कार्यग्रहण कर लिया गया।

श्री युधिष्ठर शर्मा ने इस आदेश के विरूद्व राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में याचिका संख्या 15521/2018 श्री युधिष्ठर शर्मा बनाम सरकार दायर की। जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 05.10.2018 में याचिकार्थी को अभ्यावेदन पेश करने एवं अभ्यावेदन प्राप्त होने पर निस्तारित किये जाने संबंधी आदेश पारित किये गये।

माननीय न्यायालय निर्णय के क्रम में याचिकार्थी श्री युधिष्ठर शर्मा द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि इनका आदेश दिनांक 29.05.2018 द्वारा राउमावि चाडवास, पाली से राबाउमावि सोजत रोड़, पाली स्थानान्तरण किया गया। जिसकी पालना में इन्होंने दिनांक 01.06.2018 को कार्यग्रहण कर लिया। किन्तु चार माह के उपरान्त ही आदेश दिनांक 27.09.2018 द्वारा राबाउमावि सोजत रोड़, पाली से राउमावि कन्टालिया, पाली पुनः स्थानान्तरण कर दिया गया। इनके द्वारा यथावत राबाउमावि सोजत रोड़, पाली स्थानान्तरण किये जाने का निवेदन किया है।

अद्योहस्ताक्षकर्ता द्वारा याचिकार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन का गहन अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया। यह पाया गया कि इनका स्थानान्तरण विभाग की प्रशासनिक आवश्यकता एंव व्यवस्थानुसार किया गया है एंव इन्हें स्थानान्तरण पर नियमानुसार यात्रा भत्ता एंव योग काल दिया गया है। इनके द्वारा स्थानान्तरित स्थान राउमावि कंटालिया, पाली में दिनांक 09.10.2018 को कार्यग्रहण कर लिया गया। यह भी पाया गया कि व्याख्याता का पद राज्य स्तरीय सेवा का पद है, जिसे छात्र हित को ध्यान में रखते हुए राज्य के किसी भी क्षेत्र में नियुक्त/पदस्थापित किया जा सकता है।

इस आधार पर इनका अभ्यावेदन खारिज कर निस्तारित किया जाता है।
सभी पक्षकार सूचित होवें।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक शिविरा–माध्य/संस्था/सी–1/याचिका सं. 15521/युधिष्ठर शर्मा/2018 **दिनांक :** 15/03/2019

प्रतिलिपिः निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है :–

1. संयुक्त विधि परामर्शी, विधि प्रकोष्ठ, जयपुर
2. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक (विधि) जोधपुर
3. संबंधित उपनिदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
4. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक)
5. संबंधित संस्था प्रधान
6. संबंधित कार्मिक
7. अनुभाग अधिकारी, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा को उनके पत्र क्रमांक शिविरा/माध्य/विधि/बी–2/जोध/29817/जी/2018 दिनांक 30.10.2018
8. अनुभाग अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करने बाबत्।
9. निजी/रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

C-1 Court Case 15

Scanned by CamScanner